भारत के राजपत्र के भाग-। खंड । में प्रकाशित किया जाना है- असाधारण

फ.स. 6/31/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल जीवन तारा बिल्डिंग, 5 , संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनाक 29 मार्च, 2024

जाचं शुरुआत अधिसूचना

मामला संख्या- ओआई - 29/2023

विषय: चीन जन. गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए " प्रेटिलाक्लोर के किसी भी रूप और उसके मध्यवर्ती - 2,6-डायथाइल-एन- (2-प्रोपॉक्सी एथिल) एनिलिन (जिसे पेडा के नाम से भी जाना जाता है) " के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

1. इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड (इसके बाद आवेदक के रूप में संदर्भित) ने समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के नियमों के अनुसार निर्दिष्टि प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए **प्रेटिलाक्लोर के किसी भी रूप और उसके मध्यवर्ती - 2,6-डायथाइल-एन- (2-प्रोपॉक्सी एथिल) एनिलिन (जिसे पेडा के नाम से भी जाना जाता है)** (इसके बाद 'संबंधित वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और भौतिक क्षति का खतरा हो रहा है और उन्होंने संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद **अपने किसी भी रूप में प्रेटिलाक्लोर और इसका मध्यवर्ती 2,6-डायथाइल-एन- (2-प्रोपॉक्सी एथिल) एनिलिन; (जिसे पेडा के नाम से भी जाना जाता है)**

4. प्रीटिलाक्लोर एक तरल रसायन है जिसका उपयोग चावल की खेती में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होने वाले शाकनाशी फॉर्मूलेशन के निर्माण में किया जाता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन तरल है। प्रीटिलाक्लोर का उत्पादन करने के लिए आवश्यक बुनियादी कच्चे माल- 2- प्रोपोक्सीथाइल क्लोराइड और 2,6 डायथाइल एनिलिन हैं। तकनीकी रूप में प्रेटिलाक्लोर का उत्पादन करने के लिए पेड़ा को क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड और सोडा ऐश के साथ संसाधित किया जाता है।

<u>माप की इकाई</u>

5. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री किलोग्राम या मीट्रिक टन में व्यक्त वजन के आधार पर की जाती है।

<u>उपयोग</u>

6. पेडा का उपयोग प्रीटिलाक्लोर टेक्निकल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। प्रीटीलाक्लोर टेक्निकल का उपयोग प्रीटीलाक्लोर फॉर्मूलेशन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग शाकनाशी के रूप में किया जाता है।

7. प्रेटिलाक्लोर एक पूर्व-उभरने वाला शाकनाशी है जो चावल में सभी प्रकार के खरपतवारों को दबा देता है।

<u>टैरिफ वर्गीकरण</u>

8. विचाराधीन उत्पाद का कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है और इसे निम्नलिखित कोड के तहत वर्गीकृत किया गया है- **3808 91 99, 3808 93 90, 3808 99 10, 3808 99 00, 29214290, 29221990 and 29222990.**

सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. वर्तमान जांच में शामिल पक्ष पीयूसी पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं और प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. **समान वस्तु**

10. आवेदकों ने दावा किया है कि जिन विषयगत वस्तुओं को भारत में पाटित किए जाने का आरोप लगाया गया है, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दो उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्यों और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को संबंधित देश से आयात किए जा रहे विषय माल के लिए 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

ग. **विषय देश**

11. वर्तमान आवेदन/याचिका के लिए विषय देश चीन जन. गण. हैं।

घ. **जांच की अवधि**

12. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023(12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल है।

ङ. **घरेलू उद्योग और स्थिति**

13. आवेदन इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह प्रीटिलाक्लोर और पेडा दोनों का निर्माता है और उसने प्रस्तुत किया है कि उसके पास वर्तमान आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक योग्यता है।

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, उसने चीन पीआर में संबंधित उत्पादक/निर्यातक से विषय वस्तु का आयात किया है। आयात कैप्टिव खपत के लिए संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले किए गए थे और पीओआई के दौरान नहीं किए गए थे। इसके अलावा, आवेदक संबद्ध देशों में किसी भी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। उचित परीक्षण के बाद प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक नियम 2(बी) के प्रावधानों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

15.आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) और एडी नियमों के अनुबंध- I के पैरा 7 के अनुसार, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य लागत या घरेलू बिक्री दर के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। चीन जन. गण. में प्रचलित बिक्री मूल्य, केवल तभी जब प्रतिक्रिया देने वाले चीनी उत्पादक प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार-संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडीडी नियमों के अनुबंध- I के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना की अनुमति देती है, ऐसा न होने पर चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

16.आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेने से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विषय वस्तु के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है।

ख. निर्यात मूल्य

17.संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात मूल्य की गणना डी॰जी॰ सिस्टम लेनदेन-वार आयात डेटा के आधार पर की गई है। उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है कि कीमतों को पूर्व-कारखाना स्तर पर बनाया जाए ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

ग. पाटन मार्जिन

18.सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19.घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में सबूत प्रस्तुत किए हैं, जो पूर्ण रूप से पाटित किए गए आयात की बढ़ी हुई मात्रा और भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, मूल्य कटौती, मूल्य कम बिक्री और मूल्य दमन और घरेलू उद्योग पर निराशाजनक प्रभाव के रूप में हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक मूल्य पर विचाराधीन उत्पादों के आयात

में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर रिटर्न, इन्वेंट्री के संचय और क्षमता उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि संबद्ध देश से पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

ज. **पाटन रोधी जांच की शुरुआत**

20. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस तरह के कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरू करता है, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. **<u>प्रक्रिया</u>**

21. उक्त नियमों के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. **<u>जानकारी प्रस्तुत करना</u>**

22. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते- **adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in** और **dd12-dgtr@gov.in** पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हो।

23. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से विषय देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो संबंधित वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।

24. वर्तमान जांच में भाग लेने के इच्छुक कोई भी पक्ष इस जांच की शुरूआत अधिसूचना के प्रकाशन के 40 दिनों के भीतर या प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई विस्तारित अवधि

के भीतर नामित प्राधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत कर सकता है। इच्छुक पार्टी के रूप में पंजीकरण के लिए बाद के चरण में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राधिकारी ऐसे अनुरोध के आधार पर अनुरोध की जांच करेगा और उचित समझकर उस पर विचार करेगा।

25. कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से जांच के लिए प्रासंगिक अपनी प्रस्तुतियाँ कर सकती है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. इच्छुक पार्टियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय (https://www.dgtr.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें ताकि जानकारी के साथ-साथ संबंधित जाँच पड़ताल में आगे की प्रक्रियाओं से अपडेट और अवगत रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित ईमेल पतों adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए या नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

28. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना</u>

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7 (2) के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता प्रतिक्रिया / प्रस्तुतियों की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।

30.प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

31.गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

32.गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त हो जाती है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश संभव नहीं है, और कारणों का एक बयान कि सारांश क्यू संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

33.प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

34.गोपनीयता के दावे पर सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या अच्छे कारण विवरण के बिना किए गए किसी भी निवेदन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

35. इच्छुक पक्ष प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

ङ. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ढ. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसा कि उचित लगता है।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी